



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-222000
CG-DL-E-25092020-222000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]
No. 264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

सीवीडी- 08/2020

विषय : मलेशिया, थाइलैंड तथा वियतनाम से कॉपर ट्यूब्स तथा पाइप के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 04/10/2020-डीजीटीआर.—पृष्ठभूमि :

- निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष यह अभ्यावेदन मै. बॉम्बे मैटल एक्सचेंज (जिसे यहां आगे "बीएमई" भी कहा गया है) से प्राप्त हुआ है जो अलौह धातु व्यापार का शीर्ष निकाय है तथा कॉपर ट्यूब और पाइपों (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के लगभग 50 निर्माताओं के भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यह बताया गया है कि कतिपय आशियान देशों, जिनमें मुख्यतः मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) शामिल हैं, से उन देशों में उत्पादकों के लिए उपलब्ध भारी सब्सिडियों/लाभों के कारण आयातों में भारी वृद्धि की वजह से भारत में उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है।

2. प्राधिकारी ने पिछले चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु के कस्टम आयात आंकड़े प्राप्त हुआ हैं जो मुख्यतः मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से आयात में वृद्धि दर्शाते हैं तथा जिनका संयुक्त रूप से संबद्ध वस्तु के कुल आयात में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कॉपर ट्यूब्स तथा पाइप्स” हैं। कॉपर ट्यूब्स तथा पाइप्स बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, जिनका वृताकार, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार आदि क्रॉस सेक्शन होता है। कॉपर ट्यूब्स तथा पाइप्स का निर्माण परिष्कृत तांबे या तांबे के मिश्रण से किया जा सकता है। कॉपर ट्यूब्स तथा पाइपों का अधिकांशतः वातानुकूलन और रेफ्रीजरेशन प्रणालियों में प्रयोग किया जाता है। उत्पाद की लगभग 80-90 प्रतिशत खपत एयर कंडीशन और रेफ्रीजरेशन प्रणाली अनुप्रयोगों में होती है।
4. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 74 के सीमाशुल्क शीर्ष 74112100, 74112200 और 74112900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

5. भारतीय उद्योग को प्रभावित करने वाले विषय देशों के विषय वस्तुओं के बीएमई के दावे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से वस्तुओं आयातित वस्तुओं से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

घ. सब्सिडीकरण जांच का आधार

6. बीएमई ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से आयातों में संबद्ध देश के उत्पादकों को उपलब्ध भारी सब्सिडियों/लाभों के कारण आयातों में भारी वृद्धि की वजह से भारत में उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है जिससे उन देशों में अतिरिक्त मांग नहीं होने के बावजूद भारी उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।
7. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड तथा वियतनाम से *कंटीन्यूअस कॉस्ट कॉपर वायर राइस* के आयात से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच का सदर्थ दिया है। यह नोट किया जाता है कि पूर्वोक्त जांच में शामिल उत्पाद और वर्तमान जांच में विचाराधीन संबद्ध वस्तु एक ही समूह से संबंधित हैं, और इस प्रकार सब्सिडी पीयूसी के लिए उपलब्ध होगी जिस पर पैरा 9 में यथाउल्लिखित जांच पूर्व परामर्श के दौरान चर्चा की गई है।
8. कथित रूप से सब्सिडीकृत सब्सिडी स्कीमे स्कीमें <http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FINAL%20NCV%20FF.pdf> पर उपलब्ध हैं।

ड. जांच पूर्व परामर्श

9. ऊपर यथाउल्लिखित परामर्श थाइलैंड और वियतनाम की सरकार के साथ क्रमशः 15 तथा 17 सितंबर, 2020 को हुए थे। कॉपर और ट्यूब्स के निर्यातकों को पूर्वोक्त स्कीमों की उपलब्धता पर परामर्श में चर्चा हुई थी। थाइलैंड और वियतनाम की सरकार ने बताया कि कॉपर वायर राइस के निर्यातकों हेतु उपलब्ध स्कीमों का फायदा कॉपर ट्यूब और पाइप के निर्यातकों द्वारा भी प्रथम दृष्टया उठाया जा सकता है। मलेशिया सरकार ने परामर्श के अनुरोध को घरेलू उद्योग से याचिका के अभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया था। प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 6(4) की ओर मलेशिया सरकार का ध्यान आकषित करके इसे स्पष्ट किया था।

च. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत

10. प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार बीएमई द्वारा प्रदत्त सूचना और सीमाशुल्क आयात आंकड़ों का भी एतद्वारा संज्ञान लेते हैं जिनमें निम्नानुसार बताया गया है :

उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतः कोई जांच शुरू कर सकते हैं, यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हों कि उप नियम (3) के उप-खंड (ख) में संदर्भित परिस्थितियों की मौजूदगी को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं।

11. पूर्वोक्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी एतद्वारा नियम 6(4) के अनुसार प्रतिसंतुलनकारी जांच की शुरुआत करते हैं।

छ. जांच की अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) की है और क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

ज. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में शामिल देश मलेशिया, थाइलैंड तथा वियतनाम हैं।

झ. प्रक्रिया

14. नियमावली के नियम 7 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियमावली के नियम 7 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी के चलते हितबद्ध पक्षकारों के बीच बनी सहमति के मद्देनजर अनुरोधों के अगोपनीय अंश को शेयर करने के तौर तरीके डीजीटीआर की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किए जाएंगे।

ढ. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 25th September, 2020

(CVD-08/2020)

Subject : Initiation of Countervailing Duty Investigation concerning imports of Copper Tubes and Pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam

F. No. 04/10/2020-DGTR.—A. Background

1. A representation has been received from M/s Bombay Metal Exchange (hereinafter referred to as the “BME”), the apex body of Non-ferrous metal trade and industry in India representing about 50 manufacturers of Copper Tubes and Pipes (hereinafter referred as the “subject goods” or “product under consideration”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) stating that there is a steep decline in production in India because of significant increase in imports from certain ASEAN countries mainly Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the “subject countries”) because of significant subsidies/benefits that are available to the producers in these countries.
2. The Authority has also received the import data of customs of the subject goods during the past four years which indicate increased imports mainly from Malaysia, Thailand and Vietnam collectively account for more than 90% of total imports of subject goods.

B. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Copper Tubes and Pipes”. Copper tubes and pipes are cylindrical profiles having a circular, rectangular, square, oval, etc. cross section. Copper Tubes and pipes can be made of either refined copper or copper alloys. Copper tubes and pipes are largely used in air- conditioning and refrigeration systems. About 80- 90% of the consumption of the product is in air- condition and refrigeration systems applications.
4. The product is classified under Chapter 74 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs heading 74112100, 74112200 and 74112900. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation.

C. Like Article

5. Noting the claim of BME of subject goods from the subject countries impacting the Indian Industry, the Authority *prima facie* holds that the subject goods produced by the domestic industry and the goods imported from subject countries are comparable and also technically and commercially substitutable. They are therefore *prima facie* being treated as 'like article' under the Rules for the purpose of the present investigation.

D. Basis of Investigation of subsidization

6. BME has alleged that there is a steep decline in production in India because of a significant increase in imports from subject countries due to significant subsidies/benefits that are available to the producers in the subject countries, which have encouraged significant production in these countries despite no additional demand of the same.
7. The Authority has referenced the Countervailing duty investigation pertaining to import of *Continuous Cast Copper Wire Rods* from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam. It is noted that the product involved in the aforesaid investigation and the subject goods under consideration in the present investigation belong to the same family and thus the same subsidies would be *prima facie* available to the PUC, which were also discussed during the pre-initiation consultation as stated in Para 9.
8. The subsidy schemes alleged to be subsidized are available at <http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FINAL%20NCV%20FF.pdf>

E. Pre-Initiation Consultation

9. As stated above consultations were held on 15th and 17th September, 2020 with the Government of Thailand and Vietnam, respectively. The availability of the aforementioned schemes to the exporters of *Copper Tubes and Pipes* was discussed in the consultations. The Government of Thailand and Vietnam have revealed that schemes available to exporters of Copper Wire Rods could *prima facie* also be availed by the exporters of *Copper Tubes and Pipes*. The Government of Malaysia refused the consultation request, due to the non-availability of a petition from the domestic industry, the Authority clarified by inviting their attention to the Rule 6(4) of the CVD Rules to the Government of Malaysia.

F. Initiation of Countervailing Duty Investigation

10. The Authority takes cognizance of the information provided by the BME and also the Customs import data as per sub rule sub rule 4 of rule 6 of Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection Of Countervailing Duty On Subsidized Articles And For Determination Of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred as the Rules) stated as under:

"Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo motu, if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in subclause (b) of sub-rule (3)."

11. Keeping in view the rule 6(4) of the CVD rules, Authority hereby initiates the Countervailing Duty Investigation.

G. Period of Investigation (POI):

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

H. Subject Countries

13. The subject countries for the present investigation are Malaysia, Thailand and Vietnam.

I. Procedure

14. Principles as given in Rule 7 of the Rules shall be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in.
16. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time-Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 7(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

20. All interested parties are advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. Submission of information on confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submission.
22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. In terms of Rule 7(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. However, in view of the by interested parties amongst themselves COVID-19 pandemic, the modalities of sharing the Non-confidential versions of submissions will be separately uploaded on the website of DGTR.

N. Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority